



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2017/माघ 13, 1938

No. 76]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2017/MAGHA 13, 1938

भारतीय जीवन बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 86(अ).—जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अभिकर्ताओं की भर्ती की पद्धति और उनके निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये विनियम निगम द्वारा जीवन बीमा कारबार के संबंध में भारत में नियुक्त सभी अभिकर्ताओं को लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "आमेलित अभिकर्ता" से कोई अभिकर्ता अभिप्रेत है, जिसे विनियम 4 के उपविनियम (4) के अधीन नियुक्त किया गया माना गया है;

(ग) "अभिकर्ता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत कोई आमेलित अभिकर्ता है;

(घ) "अभिकरण वर्ष" :

- (i) किसी आमेलित अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता के संबंध में,—
- (अ) उसकी नियुक्ति के पहले वर्ष में उसकी नियुक्ति की तारीख से उस मास के अंत तक की अवधि, जिसमें वह एक अभिकर्ता के रूप में बारह मास पूरे करता है (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् ऐसे अभिकर्ता का पहला अभिकरण वर्ष कहा गया है), और
- (आ) उसकी नियुक्ति के पश्चातवर्ती वर्षों में पहले अभिकरण वर्ष के पूरा होने के पश्चात् बारह मास की प्रत्येक क्रमवर्ती अवधि ; और
- (ii) किसी आमेलित अभिकर्ता के संबंध में,—
- (अ) प्रकाशन दिन से पूर्व वह तारीख जिसको उसने अपने अभिकरण का अंतिम वर्ष पूरा किया है की तारीख के पश्चात् बारह मास की अवधि; और
- (आ) उसकी नियुक्ति के पश्चातवर्ती वर्षों में पहले अभिकरण वर्ष के पूरा होने के पश्चात् बारह मास की प्रत्येक क्रमवर्ती अवधि :

परंतु किसी अभिकर्ता की दशा में जिसको विनियम 4 के उपविनियम (6) के अधीन सूचना की तामील की गई है, पश्चातवर्ती अभिकरण वर्ष का अर्थ सूचना में वर्णित तारीख से संगणित प्रत्येक क्रमवर्ती बारह मास की अवधि होगी।

- (ड) "नियुक्ति पत्र" से किसी व्यष्टि को अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को जारी नियुक्ति पत्र अभिप्रेत है ;
- (च) "प्राधिकारी" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
- (छ) "सक्षम प्राधिकारी" से स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ज) "नामनिर्दिष्ट अधिकारी" से अभिकर्ताओं की नियुक्ति या पुनः स्थापन के लिए और पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निगम द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (झ) "बीमा अधिनियम" से जीवन बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है ;
- (ञ) "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अभिप्रेत है;
- (ट) "प्रकाशन दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होते हैं;
- (ठ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) सभी शब्द और पद जो इसमें अनुप्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु जो या तो बीमा अधिनियम या भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1956 या जीवन बीमा निगम विनियम, 1959 में परिभाषित हैं, का क्रमशः वहीं अर्थ होगा जो उनका सुसंगत अधिनियमों या विनियमों में है।

4. अभिकर्ताओं की नियुक्ति.—(1) निगम के लिए जीवन बीमा कारबार का आग्रह करने या उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत निगम के बीमा की पालिसियों को जारी रखने, नवीकरण या उनको प्रवर्तित करने से संबंधित कारबार है, भारत में किसी भी स्थान में अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट सभी नियुक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार और उनकी उपयुक्तता का समाधान हो जाने के पश्चात् की जाएंगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसी नियुक्तियां करते समय प्रक्रिया के ऐसे नियमों से मार्गदर्शित होगा, जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाए गए समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक (बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2016 द्वारा विहित किए जाएं।

(4) इन विनियमों के प्रारंभ से ही भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 के उपबंधों के अधीन नियुक्त प्रत्येक अभिकर्ता और जो उस दिन से तुरंत पूर्व निगम के निमित्त ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, को उस दिन से इन विनियमों के अधीन नियुक्त और पुष्टि किया गया अभिकर्ता समझा जाएगा।

परंतु यह कि अभिकर्ता के रूप में और इन विनियमों के अधीन किसी फायदे के लिए उसके कार्य की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए वह अवधि, जिसके दौरान वह निगम की ओर से इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सतत रूप से कार्य कर रहा था (1 सितंबर, 1956 से पूर्व कोई अवधि इसमें शामिल नहीं है) को उसके सतत कारबार का पता लगाने या किसी तारीख को ऐसे कारबार की बाबत प्रीमियम आय के नवीकरण के प्रयोजन के लिए, उस अवधि के दौरान उसके द्वारा पूरा किया गया कारबार, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ होने से ठीक पूर्व अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, को गणना में लिया जाएगा :

(5) विविध बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति की ईप्सा करने के लिए आवेदक विविध अभिकर्ताओं के आवेदन के प्ररूप में उस बीमाकर्ता के ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जिसके साथ उसका अभिकरण विद्यमान है।

(6) उपविनियम (1) से उपविनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिकर्ता को लिखित सूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि उसका अभिकर्ता वर्ष सूचना में वर्णित तारीख से 12 मास की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि होगी :

परंतु सूचना में इस प्रकार वर्णित तारीख किसी कलेंडर मास की पहली तारीख होगी।

(7) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नामनिर्दिष्ट अधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए किसी आवेदन को इनकार या अस्वीकार कर सकेगा यदि वह यह अनुभव करता है कि नियुक्ति का अनुदत्त किया जाना लोकहित के विरुद्ध होगा।

5. अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तें.—कोई व्यक्ति अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह आईआरडीए अधिनियम के अधीन समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2016 में अधिकथित पात्रता शर्तों क पूरा नहीं करता है।

6. प्रशिक्षण और परीक्षा.—(1) अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यष्टिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी परीक्षा निकाय द्वारा संचालित जीवन बीमा में बीमा अभिकरण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।

(2) निगम आवेदक को भर्ती पूर्व और कौशल विकास प्रशिक्षण ऐसी रीति में जो निगम द्वारा विहित की जाए, प्रदान करेगा।

7. अभिकर्ताओं की पुनः नियुक्ति.—(1) हटाए गए अभिकर्ताओं की पुनः नियुक्त समय-समय पर निगम द्वारा अनुमोदित पात्रता शर्तों के अनुसार होगी :

परंतु कोई अभिकर्ता जिसे सतर्कता जांच, अनुशासनिक कार्यवाही समय पूर्व दावे या कपट के कारण हटाया गया है की पुनः नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) सभी व्यवहारिक प्रयोजनाओं के लिए पुनः नियुक्ति को नई नियुक्ति माना जाएगा और अभिकर्ता पुराने अभिकरण के अधीन पूरे किए गए किसी कारबार के लिए कमीशन का दायी नहीं होगा।

8. अभिकर्ताओं के कृत्य.—(1) प्रत्येक अभिकर्ता—

(क) नए बीमा कारबार का आग्रह करेंगे और उपास करेंगे तथा किसी पालिसी के अवसान या उसके संदत्त पालिसी में संपरिवर्तन को निवारित करने का प्रयास करेंगे तथा जीवन बीमा कारबार की उपासि करते हुए प्रस्ताविकों के जीवन बीमा की आवश्यकताओं तथा उनकी प्रीमियम संदाय करने की क्षमता को विचारण में लेंगे;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेंगे कि बीमा किए गए व्यक्ति की आयु को पालिसी आरंभ करते समय स्वीकृत किया जाए;

(ग) स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करने से पूर्व, बीमा के लिए जीवन के संबंध में सभी युक्तियुक्त जांच करेंगे और निगम की सूचना में किन्हीं परिस्थितियों को लाएंगे जो हाथ में लिए जाने वाले जोखिम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं;

(घ) किसी परिपत्र, पेंम्फलेट या प्रस्तुतियों को जारी करने के संबंध में निगम और प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन करेगा;

(ङ) धनशोधन अधिनियम, 1999 और तद्विनिियम बनाए गए नियमों के अनुसार अपने ग्राहक को जानिए और धनशोधन के विरुद्ध दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन करेगा;

(च) आईआरडीएआई अधिनियम और तद्विनिियम बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का कठोरता से पालन करेगा; और

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित अनाथ पालिसियों के अधीन पालिसी धारकों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएगा ।

(2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थ किसी अभिकर्ता पर कोई धन संग्रहित करने या निगम की ओर से कोई जोखिम स्वीकार करने या किसी रीति में निगम को आबद्ध करने की शक्ति प्रदान करने के अर्थ में नहीं लगाया जाएगा ।

(3) प्रत्येक अभिकर्ता दूसरी अनुसूची में दी गई और प्राधिकरण तथा निगम द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत आचार-संहिता का अनुपालन करेगा ।

9. अभिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कारबार की न्यूनतम रकम.—(1) अभिकर्ता अपने पहले और पश्चात्वर्ती अभिकरण वर्ष में उतना न्यूनतम कारबार लाएगा जो निगम द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ।

(2) उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभिकर्ता को उससे अपेक्षित कारबार को लाने से छूट प्रदान की जाएगी यदि वह ऐसी अन्य शर्तों को, जो निगम द्वारा समय-समय पर अधिकथित शर्तों को पूरा करता है ।

10. अभिकर्ताओं को कमीशन का संदाय.—(1) अभिकर्ता को इन विनियमों के अधीन उसके सभी कृत्यों के निर्वहन के प्रतिकर और पारिश्रमिक के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित बीमा के प्रत्येक उत्पाद के लिए नियत दरों पर पहले वर्ष के प्रीमियमों और उसके अभिकरण के जारी रहने के दौरान प्रीमियमों के नवीकरण तथा उसके अभिकरण के अधीन पूरे किए गए कारबार के लिए कमीशन का संदाय किया जाएगा ।

(2) कोई अभिकर्ता उपविनियम (1) के अधीन संदेय कमीशन के अतिरिक्त अनुसूची 3 में यथाउपबंधित पहले वर्ष के पात्र कमीशन के अतिरिक्त बोनस कमीशन का भी हकदार होगा ।

(3) किसी अभिकर्ता को किसी रूप में संदेय कमीशन या पारिश्रमिक आईआरडीएआई अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा बनाए गए प्रवृत्त विनियमों के अधीन होगा ।

(4) विनियम 19 में उपबंधित के सिवाय किसी अभिकर्ता के अभिकर्ता के रूप में ने रहने पर कोई कमीशन संदेय नहीं होगी ।

11. उपदान और अवधि बीमा फायदे.—किसी अभिकर्ता को उपदान और आवधिक बीमा फायदे आईआरडीएआई अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा बनाए गए प्रवृत्त विनियमों के अधीन चौथी अनुसूची में दिए गए अनुसार होंगे ।

12. निगम का अभिकर्ता के शोध्यों पर धारणाधिकार.—(1) विनियम 8 के अधीन किसी कृत्य का लोप या उल्लंघन और चौथी अनुसूची के अधीन दी गई आचार संहिता के उल्लंघन के परिणामस्वरूप निगम को हुई किसी हानि के लिए अभिकर्ता शास्ति का दायी होगा जिसके अंतर्गत उक्त हानि के लिए वसूली भी है ।

(2) निगम का किसी अभिकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों को संदेय सभी धनराशियों पर निगम को उससे शोध्य सभी ऋणों की वसूली पर प्रथम धारणाधिकार और प्रभार होगा और वह ऐसी ऋणों की वसूली के लिए सीधे ऐसी धनराशियों को ले सकेगा ।

13. अभिकरण की समाप्ति.—(1) यदि कोई अभिकर्ता किसी अभिकरण वर्ष में विनियम 9 के अधीन उससे अपेक्षित कारबार को लाने में असफल रहता है तो ऐसे अभिकरण वर्ष के अंत में उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी :

परंतु इस विनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी अभिकर्ता को लागू नहीं होगी जिसे इन नियमों के अधीन विनियम 9 के उप विनियम (2) के अधीन छूट प्रदान की गई है ।

(2) कोई अभिकरण जो उपविनियम (1) के अधीन समाप्त हो गया है, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथापूर्व किया जा सकेगा यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि अभिकर्ता द्वारा अपेक्षित कारबार लाने में असफलता उसके नियंत्रण से परे कारणों से थी।

(3) जहां किसी अभिकरण को यथापूर्व उपविनियम (2) के अधीन किया गया है, उसे सभी परियोजनाओं के लिए सतत् माना जाएगा।

14. किसी अभिकर्ता द्वारा त्यागपत्र या नियुक्ति का अभ्यर्पण.—(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा उसके अभिकरण के अभ्यर्पण की वांछा रखने की दशा में वह अपने नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी त्यागपत्र या अभ्यर्पण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर समाप्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) किसी अन्य बीमाकर्ता का कोई अभिकर्ता जिसने उस बीमाकर्ता को अपनी नियुक्ति का अभ्यर्पण कर दिया है और जो निगम से नियुक्ति की ईप्सा करता है वह सक्षम प्राधिकारी को अपने पूर्व अभिकरण के सभी व्यौरों को प्रस्तुत करेगा तथा अपने अभिकरण आवेदन के साथ पूर्व बीमाकर्ता द्वारा जारी समाप्ति प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी उसके अभिकरण आवेदन पर नियुक्त के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ती बीमाकर्ता द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से 90 दिन की कालावधि के पश्चात् विचार करेगा।

15. कतिपय निर्हताओं के लेखे अभिकरण की समाप्ति.—(1) यदि कोई अभिकर्ता,-

(क) यदि वह अवयस्क पाया जाता है ;

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का पाया जाता है ;

(ग) सक्षम न्यायालय द्वारा दांडिक दुरुपयोजन या आपराधिक न्यास भंग या छल या धोखाधड़ी या ऐसे किसी अपराध को कारित करने के लिए दुष्प्रेरण दोषी पाया जाता है;

(घ) किसी न्यायिक कार्यावाही में जानबूझकर किसी छल में भागीदार होना पाया जाता है या किसी कपट, बेईमानी या दुर्व्यपदेशन का निगम या उसकी किसी अनुषंगी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसका निगम या उसकी किसी अनुषंगी से व्यौहार है, के लिए सिद्धदोष है,

उसकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने की दायी होगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीन समापन के प्रत्येक आदेश को, अभिकर्ता को पांचवीं अनुसूची में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाने वाली जांच में ऐसे समापन के विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

(3) जब सक्षम प्राधिकारी उपविनियम (1) के अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है तो वह अभिकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए बीमा कारबार का आग्रह या उपास न करने का निदेश देगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने का निदेश न दे दिया जाए और इस प्रकार जारी निलंबन के आदेश को पांचवीं अनुसूची में यथाउपबंधित रीति में प्रकाशित किया जाएगा।

16. कतिपय गलतियों के लिए अभिकर्ताओं की समाप्ति या निलंबन.—(1) सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी अभिकर्ता की नियुक्ति को सम्यक सूचना और उसे पांचवीं अनुसूची में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् समाप्त कर सकेगा, यदि—

(क) उसने बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 1999 (1999 का 41) या उनके अधीन बनाए गए समय-समय पर यथासंशोधित नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(ख) उसने निगम के हितों या पालिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल रीति में कार्य किया है;

(ग) वह अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असफल रहा है और वह विनियम 8 और विनियम 14 में दी गई आचार संहिता का अनुपालन करने में और प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में अनुपालन करने में असफल रहा है ;

(घ) वह निगम या प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित अभिकर्ता के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असफल रहा है ;

(ङ) उसने अभिकर्ता की वैधता की अवधि के दौरान अभिकर्ता के लिए नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन में गलत या मिथ्या सूचना प्रस्तुत की है या तात्विक तथ्यों के प्रकटन में असफल रहा है ;

(च) वह प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी निरीक्षण या जांच में सहयोग नहीं करता है ;

(छ) वह पालिसीधारकों की शिकायतों का समाधान करने में असफल रहता है या निगम या प्राधिकारी को समाधानप्रद प्रत्युत्तर देने में असफल रहता है ;

(ज) यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिकर्ता या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पालिसीधारकों या संभाव्यता या बीमाकर्ता के निमित्त प्रीमियमों या संगृहित नकदी के गबन में अंतर्वलित है और वह जानबूझकर निगम या पालिसीधारकों या उसकी किन्हीं अनुषंगियों या किसी व्यक्ति जिसका निगम या उसके किसी अनुषंगी के साथ शासकीय व्यौहार है, के साथ किसी कपट, बेईमानी, दुर्व्यपदेशन, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी और कूटरचना में अंतर्वलित है ;

(झ) वह नियुक्ति के निबंधनों का उल्लंघन करता है ;

(ञ) निगम या प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित आवधिक विवरणियों को प्रस्तुत नहीं करता है ;

(ट) उसकी जानकारी में यह साक्ष्य आता है कि वह उसे संदेय संपूर्ण कमीशन या उसके किसी भाग पर रिबेट अनुज्ञात करने का प्रस्ताव कर रहा है या अनुज्ञात कर रहा है ;

(ठ) यदि यह पाया जाता है कि अभिकरण आवेदन या उसके द्वारा अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किसी प्रस्ताव में कोई प्रकथन है, जो सत्य नहीं है ;

(ड) वह अभिकर्ता के रूप में अपने कृत्यों को करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है ;

(ढ) यदि उससे निगम द्वारा नियत समय के भीतर एक अवशोषित अभिकर्ता के रूप में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा जाता है जिसमें यदि वह असफल रहता है ;

(ण) यदि यह पाया जाता है कि वह उसे निगम द्वारा प्रदान की गई किसी सुविधा का दुरुपयोग कर रहा है ।

(2) जब सक्षम प्राधिकारी उपविनियम (1) के अधीन कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता है तो वह अभिकर्ता को तब तक बीमा कारबार का आग्रह न करने या उपाप्त न करने का निदेश देगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न कर दिया जाए और इस प्रकार जारी निलंबन के आदेश को पांचवीं अनुसूची में यथाउपबंधित रीति में प्रकाशित किया जाएगा ।

17. (1) सूचना द्वारा अभिकरण की समाप्ति.—किसी अभिकर्ता की नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय एक मास की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा ।

(2) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का सक्षम प्राधिकारी के अभिकर्ता के विरुद्ध विनियम 16 और विनियम 19 के निबंधनों में कार्रवाई करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ।

18. दिवालियापन की दशाओं में प्रक्रिया.—(1) यदि कोई अभिकर्ता सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय को दिवालिया अधिनिर्णीत करने के लिए आवेदन करता है या ऐसे न्यायालय द्वारा दिवालिया अधिनिर्णीत किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसे तुरंत नया जीवन बीमा कारबार का आग्रह करने या उपाप्त करने को तुरंत बंद करने का निदेश दे सकेगा और अभिकर्ता तदनुपरांत तब तक नये जीवन बीमा कारबार का आग्रह या उपाप्ति नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय उन्मोचित करने का आत्यांतिक आदेश अनुदत्त न कर दे और सक्षम प्राधिकारी अपने पूर्व में किए गए निदेश को वापस न ले लें ।

(2) किसी अभिकर्ता द्वारा उपविनियम 1 के अनुसार नए जीवन बीमा कारबार का आग्रह या उपाप्ति करना बंद कर देने पर, विनियम 9 की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

(3) यदि कोई अभिकर्ता उस अभिकरण वर्ष जिसे उसे दिवालिया अधिनिर्णीत करने का आदेश पारित किया गया था, के पश्चात् दो अभिकरण वर्ष की समाप्ति तक उन्मोचित करने का आत्यांतिक आदेश अभिप्राप्त करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर उसकी सेवाएं समाप्त किए जाने की दायी होंगी।

19. अभिकरण को जारी न रखने पर कमीशन का संदाय.—(1) किसी अभिकर्ता की नियुक्ति को समाप्त किए जाने की दशा में, उसके द्वारा प्राप्त किए गए कारबार की बाबत प्राप्त प्रीमियमों पर कमीशन का उसे संदाय किया जाएगा, यदि ऐसे अभिकर्ता ने --

(क) विनियम 9 के उपबंधों के अधीन न्यूनतम कारबार की अपेक्षाओं को उसकी नियुक्ति से कम से कम पांच वर्ष के लिए पूरा किया हो और उसके द्वारा की गई 25 जीवन बीमा पालिसियां उसके ऐसे अभिकर्ता न रहने से एक वर्ष पूर्णतया प्रभावी थीं ; या

(ख) उसकी नियुक्ति से कम से कम 10 वर्ष के लिए विनियम 9 के अधीन न्यूनतम कारबार की अपेक्षाओं को पूरा किया है ;

(ग) कोई ऐसा अभिकर्ता है जिसकी नियुक्ति को विनियम 16 के उप विनियम (1) के खंड (ड) के अधीन समाप्त कर दिया गया है जिसने विनियम 9 के अधीन न्यूनतम कारबार की अपेक्षाओं को उसकी नियुक्ति से कम से कम दो वर्ष के लिए पूरा करता है और ऐसी समाप्ति से तुरंत पूर्व की तारीख को उसके द्वारा की गई 12 विभिन्न जीवन बीमा पालिसियां पूर्णतया प्रभावी हैं :

परंतु उसके ऐसा अभिकर्ता न रहने के पश्चात् वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी या संगठन जिसके अंतर्गत दलाल या मध्यवर्ती या जीवन बीमा कंपनी या कोई स्वास्थ्य बीमा कंपनी है, के लिए किसी क्षमता में तत्पश्चात् दो वर्ष के लिए जीवन बीमा कारबार का आग्रह नहीं करेगा या उपाप्त नहीं करेगा या उसका संवर्धन नहीं करेगा।

(2) उप विनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विनियम 15 या विनियम 16 के उपविनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ज) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा समाप्त किसी अभिकर्ता की उसके अभिकरण के अधीन प्रभावी सभी पालिसियों की बाबत संपूर्ण कमीशन प्रतिसंहत हो जाएगी।

(3) उपविनियम (1) के अधीन संदेय किसी कमीशन को संदत्त नहीं किया जाएगा, यदि अभिकर्ता तदधीन किसी परंतुक का अतिलंघन करता है।

(4) इस विनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उपविनियम (1) के अधीन किसी अभिकर्ता को संदेय किसी कमीशन को उसकी मृत्यु के होते हुए भी उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदत्त किया जाएगा या यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या उसके उत्तराधिकारी अस्तित्व में है तो उनको ऐसा कमीशन तब तक संदेय होगा यदि अभिकर्ता जब तक जीवित होता।

(5) किसी अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में जब उसका अभिकरण अस्तित्व में है यदि वह जीवित होता तो उसे संदेय किसी कमीशन का उसके नामनिर्देशिती को या कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या तब तक उसके उत्तराधिकारी विद्यमान हैं जब तक ऐसा कमीशन उसको संदेय होता है, संदाय किया जाएगा तो तब विद्यमान नहीं रहता है यदि अभिकर्ता जीवित होता। परंतु यह कि उसने एक अभिकर्ता के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अन्यून के लिए लगातार से कार्य किया है और उसके द्वारा की गई 12 जीवन पालिसियां उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व पूर्णतः प्रभावी थीं।

(6) यदि उप विनियम (1) या उप विनियम (4) या उप विनियम (5) के अधीन संदेय नवीकरण कमीशन किसी वित्त वर्ष में 10,000/-रुपये से कम होती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त वित्त वर्ष कहा गया है) सक्षम प्राधिकारी उक्त उप विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पश्चातवर्ती वित्त वर्षों में संदेय कमीशन को एक मुश्त राशि में संराशिकृत कर सकेगी जो उक्त वित्त वर्ष में संदत्त नवीकरण कमीशन की रकम से तीन गुणा होगी और ऐसी एक मुश्त राशि का यथास्थिति अभिकर्ता या उसके नामनिर्देशिती या उत्तराधिकारियों को संदाय करने पर अभिकर्ता के माध्यम से किए गए कारबार के लिए कोई कमीशन उक्त वित्त वर्ष के पश्चातवर्ती वित्त वर्षों के लिए संदाय नहीं होगी।

(7) पूर्वोक्त अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नवीकरण कमीशन यह विरासत कमीशन जैसा कि निगम द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन होगी।

20. अपील.—(1) प्रत्येक अभिकर्ता को निगम के संबंधित जोनल प्रबंधक के पास उसकी नियुक्ति को समाप्त करने के आदेश और या नवीकरण कमीशन के प्रतिसंहरण या विनियम 15 या विनियम 16 या विनियम 18 या विनियम 19 के उपविनियम (2) के अधीन नया कारबार उपाप्त करने से उसे निलंबित करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा।

(2) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा पृथकतः और अपने स्वयं के नाम से करेगा।

(3) अपील उस प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी जिसे अपील की जानी है उसमें कोई अभद्र या अनुचित भाषा अंतर्विष्ट नहीं होगी और वह स्वयं में परिपूर्ण होगी।

(4) अपील उस प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।

(5) इस विनियम के अधीन कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक वह उस तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर नहीं की गई है जिसको अपीलार्थी ने उस आदेश की प्रति प्राप्त की थी जिसके विरुद्ध अपील की गई है :

परंतु जोनल प्रबंधक उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् तीन मास की और अवधि के भीतर किसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय पर अपील को प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

21. अपीलों को विधारित करना.—पहली अनुसूची में परिभाषित सक्षम प्राधिकारी, जिसे अपील भेजी जाती है, उसको विधारित कर सकेगा यदि -

(i) वह विनियम 20 के उपविनियम (2) या उपविनियम (3) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है ; या

(ii) यदि वह विनियम 20 के उपविनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है और इसमें विलंब के कारणों को उपदर्शित नहीं किया गया है ; या

(iii) या पहले से ही विनिश्चित किसी अपील की पुनरावृत्ति है :

परंतु किसी अपील को विधारित करने की दशा में अपीलार्थी को उसके तथ्यों और कारणों से सूचित किया जाएगा और सिवाय खंड (iii) के अधीन आने वाले मामले के अपील को अपीलार्थी को लौटा दिया जाएगा तथा यदि उसे ऐसा करने के एक मास के भीतर, यथास्थिति समुचित संशोधनों या विलंब के कारणों को उपदर्शित करते हुए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो इसे विधारित नहीं किया जाएगा।

22. अपील का पारेषण.—(1) वह प्राधिकारी जिसे उस आदेश को किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है अपील की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर जोनल प्रबंधक को प्रत्येक अपील को जो विनियम 21 के अधीन विधारित नहीं की गई है के साथ उन पर अपनी टिप्पणियों और सुसंगत अभिलेखों के साथ पारेषित करेगा।

(2) जोनल प्रबंधक विनियम 21 के अधीन विधारित किसी अपील के उसे पारेषण का निदेश दे सकेगा और तदुपरि ऐसी अपील को विधारित करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियों और सुसंगत अभिलेखों के साथ पारेषित कर दी जाएगी।

23. अपीलों का विचारण.—(1) जब इन विनियमों के अधीन कोई अपील प्राप्त होती है तो जोनल प्रबंधक मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे :

परंतु यह कि अपीलार्थी को अपने मामले का अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(2) सभी अपीलों का निपटान यथासंभवशीघ्र किया जाएगा किंतु जोनल प्रबंधक द्वारा अपील प्राप्ति की तारीख से तीन मास से अन्यून नहीं।

24. अभ्यावेदन.—(1) कोई अभिकर्ता जिसकी अपील इन विनियमों के अधीन विनियम 15 या विनियम 16 के अधीन किए गए किसी किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं है जिसे जोनल प्रबंधक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है वह उस मामले के संबंध में निगम के अध्यक्ष को अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अभ्यावेदन दे सकेगा और अध्यक्ष ऐसी जांच जैसा वह उचित समझे करने या कारित करने के पश्चात् उस पर आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित हो।

(2) समान वाद हेतुक पर कोई और अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

25. अनुदेश या निदेश जारी करने की शक्ति.—प्रबंध निदेशक इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए समय-समय पर ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

26. स्कीमों की विरचना करने की शक्ति.—प्रबंध निदेशक, निगम के पूर्व अनुमोदन से ऐसी स्कीमों की निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए विरचना कर सकेगा जो इन विनियमों से असंगत न हो, -

(क) वृत्तिका का संदाय ;

(ख) अभिकर्ताओं को ऋणों का अनुदान।

27. शिथिल करना.—अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यकारी समिति अपने संकल्प में कारणों को लेखबद्ध करते हुए व्यष्टिक मामलों में इन विनियमों से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

प्रथम अनुसूची

[विनियम 3(1)(छ), (ज) देखें]

विनियम सं.	कृत्यों की प्रकृति	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
3(ड) और 4	अभिकर्ताओं की नियुक्ति	शाखा का भारसाधक अधिकारी
4(6)	अभिकरण वर्ष में परिवर्तन	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
8(1)(छ)	अनाथ पालिसियों का अभिकर्ताओं को आबंटन	शाखा की आबंटन समिति
10(1)	अभिकर्ताओं को कमीशन	अध्यक्ष
13(2)	अभिकर्ता द्वारा अपेक्षित कारबार को लाने में असफलता नियंत्रण से परे कारणों से होने पर अभिकरण की पुनः बहाली	कार्यपालक निदेशक द्वारा उस रूप में पदनामित निगम का पदनामित अधिकारी
14	किसी अभिकर्ता द्वारा त्यागपत्र या नियुक्ति का अभ्यर्षण	शाखा का भारसाधक अधिकारी
15(1) और 15(3)	कतिपय निरर्हताओं के लेखे अभिकरण की समाप्ति	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
16	कतिपय गलतियों पर अभिकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई और नया जीवन बीमा कारबार का आग्रह या उपाप्त न करने के लिए निदेश जारी करना	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
17	सूचना द्वारा अभिकरण की समाप्ति	जोन का भारसाधक जोनल प्रबंधक
18	नया जीवन बीमा कारबार का आग्रह न करने या उपाप्त न करने का निदेश/ दिवालियेपन के मामलों में अभिकरण की समाप्ति	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
19(1)	अभिकरण जारी न रखने पर कमीशन का संदाय	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
19(6)	नवीकरण कमीशन का सारांशीकरण	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी
अनुसूची 1 विनियम 21	अपीलों का अवधारण— कृत्यों की प्रकृति - वाद हेतुक सूचना और अंतिम आदेश जारी करना	प्रभाग का भारसाधक अधिकारी

दूसरी अनुसूची
[विनियम 8(3), 12(1) देखें]
आचार संहिता

(1) प्रत्येक बीमा अभिकर्ता—

- (क) स्वयं की निगम के बीमा अभिकर्ता के रूप में पहचान करेगा ;
- (ख) प्रास्पेक्ट को अभिकरण के पहचान पत्र को उपदर्शित करेगा और मांग करने पर प्रास्पेक्ट को अभिकरण नियुक्ति पत्र का भी प्रकटन करेगा ;
- (ग) निगम द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों के संबंध में अपेक्षित सूचना का प्रसार करेगा और विनिर्दिष्ट बीमा योजना की सिफारिश करते समय प्रास्पेक्ट की आवश्यकताओं को गणना में लेगा ;
- (घ) विक्रय के लिए प्रस्ताव किए गए बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के परिमाण का प्रकटन करेगा यदि प्रास्पेक्ट द्वारा कहा जाए ;
- (ङ) निगम द्वारा विक्रय के लिए प्रस्ताव किए गए उत्पाद पर प्रभारित किए जाने वाले प्रीमियम को उपदर्शित करेगा ;
- (च) प्रास्पेक्ट को निगम द्वारा प्रस्ताव प्ररूप में अपेक्षित सूचना की प्रकृति को और किसी बीमा संविदा में तात्विक सूचना के प्रकटन की महत्ता को भी स्पष्ट करेगा ;
- (छ) निगम की सूचना में बीमा निम्नांकन से सुसंगत प्रास्पेक्ट के संबंध में प्रत्येक तथ्य, जिसके अंतर्गत कोई प्रतिकूल आदतें या प्रास्पेक्ट की आय में असंगता है, जो अभिकर्ता की जानकारी में है, को “बीमा अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट” नामक रिपोर्ट के प्ररूप में लाएगा और कोई तात्विक तथ्य, जो प्रस्ताव के स्वीकार करने के संबंध में निगम के निम्नांकन विनिश्चय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, को प्रास्पेक्ट के संबंध में सभी युक्तियुक्त जांच करके निगम की जानकारी में लाएगा ;
- (ज) निगम को प्रस्ताव पत्रों को प्रस्तुत करने के समय सभी अपेक्षित दस्तावेजों को और निगम द्वारा प्रस्ताव को पूरा करने के लिए मांगे गए सभी पश्चातवर्ती दस्तावेजों को अभिप्राप्त करेगा ;
- (झ) प्रत्येक प्रास्पेक्ट को पालिसी के अधीन नामनिर्देशन करने का परामर्श देगा ;
- (ञ) प्रास्पेक्ट को तत्परता से निगम द्वारा प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार करने की सूचना देगा ;
- (ट) प्रत्येक पालिसीधारक को पालिसी सर्विसिंग मामलों पर आवश्यक सहायता और परामर्श देगा, जिसके अंतर्गत पालिसी के अधीन या किसी अन्य पालिसी सेवा के अधीन पते में परिवर्तन या किसी विकल्प का उपयोग, जहां भी आवश्यक हो, है ;
- (ठ) निगम द्वारा दावों के निपटान के लिए अपेक्षाओं की अनुपालना करने में पालिसीधारकों या दावाकर्ताओं या सुविधाग्राहियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

(2) प्रत्येक बीमा अभिकर्ता—

- (क) निगम द्वारा उस रूप में नियुक्ति के बिना बीमा कारबार का आग्रह या उपापन नहीं करेगा ;
- (ख) प्रस्ताव प्ररूप में किसी तात्विक सूचना का लोप करने के लिए प्रास्पेक्ट को उत्प्रेरित नहीं करेगा ;

- (ग) प्रास्पेक्ट को प्रस्ताव प्ररूप में या प्रस्ताव के निगम द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा ;
- (घ) बीमा पालिसियों के आग्रह और उपापन के लिए बहुस्तरीय विपणन का सहारा नहीं लेगा और/या किसी प्रास्पेक्ट या पालिसीधारक को बहुस्तरीय विपणन स्कीम में भाग लेने के लिए शामिल नहीं करेगा ;
- (ङ) प्रास्पेक्ट के साथ निरादर करने की रीति में व्यवहार नहीं करेगा ;
- (च) निगम के किसी अन्य बीमा अभिकर्ता द्वारा लाए गए प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं करेगा ;
- (छ) निगम द्वारा प्रस्ताव की गई दरों, फायदों, निबंधनों और शर्तों से भिन्न का प्रस्ताव नहीं करेगा ;
- (ज) बीमा संविदा के अधीन फायदाग्राही से आगतों में कोई भाग प्राप्त नहीं करेगा या उसकी मांग नहीं करेगा ;
- (झ) किसी पालिसीधारक को विद्यमान पालिसी को समाप्त करने के लिए और ऐसी पूर्वत्तर पालिसी की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर नई पालिसी लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा ;
- (ञ) नए बीमा अभिकर्ता के रूप में कृत्य करने के लिए नए अभिकरण नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं करेगा यदि उसकी अभिकरण नियुक्ति को पूर्व में पदनामित अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था और ऐसे रद्दकरण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है ;
- (ट) किसी बीमाकर्ता का निदेशक नहीं बनेगा या नहीं रहेगा ।

(3) प्रत्येक अभिकर्ता उसके द्वारा पहले से ही उपाप्त बीमा कारबार का संरक्षण करने के लिए पालिसीधारकों द्वारा उपदर्शित समय के भीतर प्रीमियम को जमा करने का पालिसीधारकों को मौखिक और लिखित सूचना देकर सुनिश्चय करेगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो आईआरडीएआई अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बीमा अभिकर्ता के रूप में कृत्य करेगा, निगम द्वारा शास्ति और अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा ।

तीसरी अनुसूची

[विनियम 10(2) देखें]

अभिकर्ताओं को संदेय बोनस कमीशन

1. इस अनुसूची में, "पहले वर्ष की पात्र कमीशन" से किसी अभिकर्ता द्वारा किसी अभिकरण वर्ष में अर्जित पहले वर्ष की कमीशन अभिप्रेत है, जिसमें उसके द्वारा प्रत्याभूत एकल प्रीमियम पालिसियों, अस्थगित वार्षिकी पालिसियों और शुद्ध आवधिक पालिसियों के लिए अर्जित कमीशन शामिल नहीं है ।

2. कोई अभिकर्ता जिसके अंतर्गत आमेलित अभिकर्ता भी है पहले वर्ष के लिए अर्जित कमीशन के लिए 40 प्रतिशत की दर से बोनस कमीशन का हकदार होगा यदि उसने पूरे किए गए कारबार में विभिन्न जीवनों पर छह प्रस्तावों से अन्यून पालिसियां प्रत्याभूति की हों और पहले वर्ष के लिए प्रीमियम आय संबंधित अभिकरण वर्ष में कम से कम पचास हजार रुपये हो ।

3. जब किसी अभिकर्ता ने अनुसूची के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसरण में पांच क्रमवर्ती वर्षों के लिए बोनस कमीशन अर्जित की हो तो वह ऐसे पांच वर्षों के तुरंत पश्चात् अभिकरण वर्ष के लिए बोनस कमीशन का हकदार होगा चाहे उसने उक्त उपबंध में उस वर्ष के लिए अधिकथित शर्तों को पूरा न किया हो ।

4. पूर्वगामी पैरा 2 और पैरा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अभिकर्ता जिसे विनियम 9 के उपविनियम (2) के अधीन छूट प्रदान की गई है बोनस कमीशन का हकदार होगा यदि ऐसी छूट के समय उसके प्रत्यय में अनुसूची 4 में यथापरिभाषित पन्द्रह अर्हक वर्ष हों ।

अनुसूची 4

[विनियम 11 देखें]

उपदान और अवधि बीमा

1. इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

(क) किसी आमेलित अभिकर्ता की दशा में "अभिकरण वर्ष" में पहले अभिकरण वर्ष से पूर्व 12 मास की प्रत्येक कालावधि शामिल है किंतु एकमात्र अभिकर्ता की दशा में इसके अंतर्गत वह अभिकरण वर्ष शामिल नहीं है, जिसके दौरान अभिकर्ता ने 12 पूर्ण मास से कम के लिए कार्य किया है।

(ख) "पात्र दर" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -

(i) किसी अभिकर्ता की दशा में जिसने सुसंगत तारीख को सुसंगत तारीख से ठीक पूर्व 15 अभिकरण वर्ष या अधिक के लिए किसी अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है, अर्हक वर्षों में उसके द्वारा अर्जित अर्हक वार्षिक नवीकरण कमीशन के समग्र का 180वां भाग; और

(ii) किसी अभिकर्ता की दशा में जिसने सुसंगत तारीख को 15 अभिकरण वर्ष से कम के लिए किसी अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है, अर्हक वर्षों में उसके द्वारा अर्जित अर्हक वार्षिक नवीकरण कमीशन के समग्र को उसके द्वारा सुसंगत तारीख को अभिकर्ता के रूप में अभिकरण वर्ष की कुल संख्या को विभाजित करके आने वाली रकम का 1/12वां भाग;

(ग) "अर्हक वर्ष" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-

(i) कोई अभिकरण वर्ष जिसमें किसी अभिकर्ता ने 1 सितंबर, 1956 और इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख के बीच निगम के निमित्त कार्य करते हुए पूर्व गारंटी से अन्यून कारबार पूरा किया है, या

(ii) कोई अभिकरण वर्ष जिसमें किसी अभिकर्ता ने नियत तारीख के पश्चात् कार्य करते हुए या कार्य जारी रखते हुए कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट और विनियम 9 के उपबंधों के अधीन समय समय पर निगम के बोर्ड द्वारा अनुसमर्थित अपेक्षित कारबार पूरा किया है, किंतु किसी आमेलित अभिकर्ता के संबंध में पहला अभिकरण वर्ष तब तक अर्हक वर्ष नहीं होगा जब तक उसने उपांतरित पूर्व गारंटी से अन्यून कारबार पूरा न कर लिया था;

(घ) "अर्हक वार्षिक नवीकरण कमीशन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -

(i) 1 अप्रैल, 1968 को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले अभिकरण वर्षों के संबंध में, ऐसे अभिकरण वर्षों में शामिल अर्हक वर्ष में किसी अभिकर्ता द्वारा अर्जित नवीकरण कमीशन, और

(ii) 31 मार्च, 1968 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले अभिकरण वर्षों के संबंध में 1 अप्रैल, 1971 से तुरंत पूर्व 3 अभिकरण वर्षों में अर्जित नवीकरण कमीशन के समग्र का एक तिहाई।

(ङ) "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको पैरा 2 के अधीन उपदान के संदाय के लिए पात्रता का अवधारण किया जाता है।

2. (1) कोई अभिकर्ता उपदान के लिए पात्र होगा, -

(i) उसने सतत् रूप से कार्य किया हो और 15 या अधिक अर्हक वर्षों के लिए, और

(क) वह 60 वर्ष से कम आयु का नहीं है; या

(ख) उसका अभिकरण समाप्त हो जाता है या इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी संभावित कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से समाप्त हो जाता है; या

(ii) यदि उसकी नियुक्ति में उसकी पुष्टि की गई है, और

(क) उसकी मृत्यु हो जाती है जबकि उसका अभिकरण विद्यमान है, या

(ख) विनियम 16 के उपविनियम (1) के खंड (ड) के अधीन अभिकर्ता के रूप में उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है।

स्पष्टीकरण – इस उपपैरा में, "संभावित कारण" से निम्नलिखित में वर्णित कारणों में से कोई कारण अभिप्रेत है ;

(i) विनियम 15 का खंड (ग) या खंड (घ)

(ii) विनियम 16 के उपविनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ज) या खंड (ट), या

(iii) विनियम 17 के उपविनियम (1) के खंड (ठ) यदि यह साबत कर दिया जाता है कि अभिकर्ता ने निगम को धोखा देने की दृष्टि से कार्य किया था।

(2) कोई अभिकर्ता उसके उनसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व पदनामित अधिकारी को लिखित सूचना देकर अनुरोध कर सकेगा कि उपदान के लिए उसकी पात्रता का अवधारण पेंसठ वर्ष की आयु पूरा करने पर किया जाए; और उस दशा में उपपैरा (1) के खंड (2) का उपखंड (1) का ऐसे प्रभाव होगा मानो "साठ" शब्द के स्थान पर "पैंसठ" शब्द रखे गए हों और सुसंगत तारीख की गणना तदनुसार की जाएगी।

(3) किसी अभिकर्ता को अनुज्ञेय उपदान पहले पंद्रह अर्हक वर्ष के लिए प्रत्येक अर्हक वर्ष की पात्र दर पर होगा और पश्चातवर्ती दस अर्हक वर्ष के लिए पात्र दर से आधे पर होगा, परंतु उपदान की अधिकतम संदेय रकम 3,00,000/-रुपये से अनधिक होगी।

(4) किसी धारणाधिकार के अधीन रहते हुए निगम किसी अभिकर्ता को अनुज्ञेय उपदान की रकम पर किसी अभिकर्ता या उसके नामनिर्देशिती या उसकी विद्यमानता के दौरान कोई नामनिर्देशन न किए जाने की दशा में उसके उत्तराधिकारियों को इस खंड के अधीन अनुज्ञेय उपदान की रकम का संदाय कर सकेगा।

(5) पूर्वगामी उपपैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभिकर्ता को जो निगम का कर्मचारी भी है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान वह ऐसा कर्मचारी बना रहता है, कोई उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा, और उसके ऐसे अवधि के लिए अभिकरण के कार्य को यहां तक कि उसके एक कर्मचारी के रूप में सेवा की समाप्ति पर, इस खंड के अधीन किसी प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

(6) जहां किसी अभिकर्ता ने इस पैरा के अधीन कोई उपदान प्राप्त किया है तो उसे किसी अवधि के दौरान जिसके लिए उसके पश्चात् उसने अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है कोई और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

3. (1) किसी अभिकर्ता की मृत्यु होने की दशा में जब उसका अभिकरण विद्यमान है, निगम इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किसी रकम का संदाय करेगा यदि ऐसे अभिकर्ता के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं -

(क) एक अभिकर्ता के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख पर उसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।

स्पष्टीकरण : किसी आमेलित अभिकर्ता की नियुक्ति की तारीख का अवधारण करने के लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में प्रकाशित दिन से पूर्व उसकी नियुक्ति पर वास्तविक तारीख को गणना में लिया जाएगा ;

(ख) उसके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरा करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है ;

(ग) उसके अपने जीवन पर पांच हजार रुपये से अन्यून राशि का बीमा करने की कोई बीमा पालिसी है (अस्थायी बीमा पालिसी से भिन्न) जो उसकी मृत्यु के समय प्रभावी थी :

परंतु किसी आमेलित अभिकर्ता की दशा में इस शर्त को पूरा हुआ मान लिया जाएगा यदि उसने कोई पालिसी धारण की थी जो संदाय के लिए उसके 50 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् परिपक्व हुई ; और

(घ) जो एक आमेलित अभिकर्ता नहीं है जिसकी एक अभिकर्ता के रूप में पुष्टि की गई है और उसके प्रत्यय में उसकी मृत्यु की तारीख को तीन या अधिक अर्हक वर्ष हैं; या वह एक आमेलित अभिकर्ता है और उसके प्रत्यय में तीन अर्हक वर्ष हैं और उसने ;

(i) उसकी मृत्यु की तारीख को पांच अभिकरण वर्ष पूरे कर लिए हैं; या

(ii) ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है जो विनियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) उपखंड (1) के अधीन संदेय रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात अवधि बीमा की रकम कहा गया है) उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व तीन अभिकरण वर्षों में अभिकर्ता द्वारा अर्जित वार्षिक नवीकरण कमीशन के औसत पर आधारित होगी और निम्नलिखित स्केल के अनुसार होगी:

औसत कमीशन	अवधि बीमा की रकम
(क) यदि औसत कमीशन 1001/-रु. से कम थी।	3000/- रु.
(ख) यदि औसत कमीशन 1001/-रु. या उससे अधिक थी किंतु 15,000/-रु. से कम थी।	3000/- रु. धन 1000/- रु. से अधिक औसत कमीशन का आधा।
(ग) यदि औसत कमीशन 15,000/-रु. या अधिक थी।	10000/- रु.

(3) किसी अभिकर्ता की दशा में अनुज्ञेय अवधि बीमा की रकम पर निगम के किसी धारणाधिकार के अधीन रहते हुए वह उसके नामनिर्देशिती या या नामनिर्देशितियों या यदि उसकी विद्यमान्यता के दौरान कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है तो उसके उत्तराधिकारियों को इस पैरा के अधीन अनुज्ञेय अवधि बीमा की रकम का संदाय करेगा।

(4) पूर्वगामी उपपैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अवधि बीमा की रकम किसी अभिकर्ता की बाबत अनुज्ञेय नहीं होगी जो निगम का कर्मचारी था, यदि उसकी मृत्यु उस अवधि के दौरान होती है जिसके दौरान वह ऐसा कर्मचारी रहा है और ऐसी अवधि के दौरान अभिकर्ता के रूप में उसके कार्य को किसी प्रयोजन के लिए यहां तक कि एक कर्मचारी के रूप में उसकी सेवा की समाप्ति के पश्चात् भी गणना में नहीं लिया जाएगा।

पांचवीं अनुसूची

[विनियम 15(2) और (3), 16(1) और (2) देखें]

अनुशासनिक कार्रवाई

1. अभिकर्ता की नियुक्ति से पूर्व या तत्पश्चात् जांच करने की रीति--

- (1) किसी अभिकर्ता की नियुक्ति तब तक लंबित नहीं की जाएगी जब तक इस अनुसूची में अधिकथित रीति के अनुसार जांच संचालित न कर ली गई हो।
- (2) कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी को विनियम 16 के अधीन उपदर्शित अनियमितताओं के लिए निलंबन आदेश जारी करने से पन्द्रह दिन के भीतर, जहां भी जारी किया जाए, जांच या अन्वेषण संचालित करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।
- (3) जांच अधिकारी संबंधित अभिकर्ता को जांच संचालित करने के लिए आवश्यक समझी गई प्रत्येक सूचना/डाटा प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा और अभिकर्ता को निलंबन आदेश या पत्र की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन का समय ऐसी मांगी गई सूचना या डाटा प्रस्तुत करने के लिए अनुदत्त करेगा।
- (4) अभिकर्ता ऐसी सूचना की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर जांच अधिकारी को उसके द्वारा अवलंब लिए गए या जांच अधिकारी द्वारा ईप्सित दस्तावेजों या अन्य साक्षियों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- (5) जांच अधिकारी अभिकर्ता को उसके प्रत्युत्तर के समर्थन में दलील देने के लिए समर्थ बनाने हेतु सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।
- (6) अभिकर्ता या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा उसके मामले को प्रस्तुत करने के लिए सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा किंतु तथापि, प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई हो।
- (7) जांच अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को उसके किसी एक अधिकारी के माध्यम से मामले को प्रस्तुत करने का परामर्श देगा।

- (8) यदि आवश्यक समझा जाए तो जांच अधिकारी जांच के प्रक्रम के दौरान किसी अन्य संबंधित पक्षकार से फीडबैक या सूचना मंगा सकेगा।
- (9) यदि आवश्यक समझा जाए तो जांच अधिकारी अभिकर्ता से अतिरिक्त पेपरों की मांग कर सकेगा।
- (10) जांच अधिकारी जांच आरंभ करने के पैंतालीस दिन के भीतर जांच या अन्वेषण को पूरा करने के सभी प्रयास करेगा।
- (11) यदि जांच को पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो जांच अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से कारणों को उपदर्शित करते हुए अतिरिक्त समय की मांग कर सकेगा।
- (12) जांच अधिकारी सभी सुसंगत तथ्यों और अभिकर्ता द्वारा दी गई दलीलों को गणना में लेने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (13) सक्षम प्राधिकारी अभिकर्ता को उसके अभिकरण की समाप्ति का प्रस्ताव करते हुए हेतुक उपदर्शित करने की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए अभिकर्ता को वाद हेतुक जारी करेगा और ऐसे विनिश्चय के साथ, जो वह आवश्यक समझे, लिखित में अंतिम आदेश पारित करेगा तथा उसकी संबंधित अभिकर्ता को संसूचना देगा।
- (14) अभिकर्ता के अभिकरण को समाप्त करने के अंतिम आदेश को जारी करने पर वह अंतिम आदेश की तारीख से अभिकर्ता के रूप में कृत्य नहीं करेगा।

2. निलंबन या समाप्ति के आदेश का प्रकाशन.—(1) विनियम 15 या विनियम 16 के अधीन बीमा अभिकर्ता की नियुक्ति के निलंबन या समापन का आदेश निगम की वेबसाइट पर उपदर्शित किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा रखी गई अभिकर्ताओं की केंद्रीय सूची में अद्यतन किया जाएगा, जिससे निगम द्वारा निलंबित या समाप्त किए गए अभिकर्ता द्वारा नए कारबार के रजिस्ट्रीकरण को तुरंत रोका जा सके।

(2) अभिकरण के निलंबन या समापन की तारीख से ही अभिकर्ता का निगम के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना समाप्त हो जाएगा।

3. अभिकरण नियुक्ति के निलंबन या समापन का प्रभाव.—(1) अभिकरण के निलंबन या समापन की तारीख से ही अभिकर्ता का अभिकर्ता के रूप में कार्य करना समाप्त हो जाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी अभिकर्ता से, जिसकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है, नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र को नियुक्ति की समाप्ति को प्रभावी करने वाले अंतिम आदेश के जारी करने के सात दिन के भीतर वापस ले लेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी अभिकर्ता को काली सूची में डाल देगा और उस अभिकर्ता के ब्यौरों को, जिसकी नियुक्ति को निलंबित या रद्द कर दिया गया है, प्राधिकरण द्वारा रखे गए काली सूची के अभिकर्ताओं के डाटा बेस में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आनलाइन रीति में रखे गए अभिकर्ताओं की केंद्रीयकृत सूची में निलंबित या समाप्त करने के आदेश को जारी करने के पश्चात् दर्ज कर देगा।

(4) किसी अभिकर्ता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की समाप्ति पर साकारण आदेश के जारी करने पर किसी अभिकर्ता के निलंबन को प्रतिसंहत करने पर ऐसे अभिकर्ता के ब्यौरों को काली सूची में डाले गए अभिकर्ताओं की सूची से उसके निलंबन को प्रतिसंहत करने के आदेश को जारी करने के यथाशीघ्र पश्चात् हटा दिया जाएगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी अन्य बीमाकर्ताओं को, जिनके साथ वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, अभिकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई से उनके अभिलेख और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर सकेगा।

[फा. सं. I-13011/02/2015/Ins-I]

ऊषा सांगवान, प्रबंध निदेशक

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 86(E).—In exercise of the powers conferred under section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Life Insurance Corporation of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment of agents and the terms and conditions thereof, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (Agents) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to all agents appointed in India by the Corporation in respect of life insurance business.

3. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) “Act” means the Life Insurance Corporation Act 1956 (31 of 1956);
- (b) “absorbed agent” means an agent who is deemed to have been appointed under sub-regulation (4) of regulation 4;
- (c) “agent” means a person who has been appointed under regulation 4 of these regulations and includes an absorbed agent;
- (d) “agency year”,-
 - (i) in relation to an agent, other than an absorbed agent, means-
 - (A) in the first year of his appointment, the period from the date of his appointment to the end of the month in which he completes twelve months as an agent (hereinafter referred to as the first agency year of such agent); and
 - (B) in the subsequent years of his appointment, every successive period of twelve months following the completion of the first agency year; and
 - (ii) in relation to an absorbed agent, means-
 - (A) the period of twelve months from the date following the date on which he had completed the last year of his agency before the published day (hereinafter referred to as the first agency year of such agent); and
 - (B) in the subsequent years of his appointment, every successive period of twelve months following the completion of the first agency year;

Provided that in the case of an agent on whom a notice has been served under sub-regulation (6) of regulation 4, subsequent agency years shall be taken to mean every successive period of twelve months computed from the date mentioned in the notice;

- (e) “appointment letter” means a letter of appointment issued by the competent authority to an individual to act as an agent;
- (f) “authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (g) “competent authority” means the authority prescribed in column (3) of the First Schedule to discharge the functions mentioned in the corresponding entries in column (2) thereof;

- (h) “designated officer” means an officer authorised by the Corporation to make appointment or reinstatement of agents and to discharge other functions as entrusted to him in column (2) of the First Schedule;
- (i) “Insurance Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (j) “IRDA Act” means Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999;
- (k) “published day” means the date on which these regulations are published in the Official Gazette;
- (l) “Schedule” means a Schedule appended to these regulations.

(2) All words and expressions used herein and not defined herein but defined in the Act, or the Insurance Act or the IRDA Act, or in the Life Insurance Corporation Regulations, 1959, shall have the meanings respectively assigned to them in the relevant Acts or regulations.

4. Appointment of Agents.—(1) Agents may be appointed in any place within India for the purpose of soliciting or procuring life insurance business including business relating to the continuance, renewal or revival of policies of insurance for the Corporation.

(2) All appointments referred to in the sub-regulation (1), shall be made by the competent authority after conducting interview of the candidates and satisfying itself about their suitability.

(3) In making such appointments the competent authority shall be guided by such rules of procedure as are laid down in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016 made under the IRDA Act, as amended from time to time.

(4) On and from the commencement of these regulations, every agent appointed under the provisions of the Life Insurance Corporation of India (Agents) Rules, 1972 and who was immediately before that day acting on behalf of the Corporation as such agent, shall be deemed to be an agent appointed and confirmed under these regulations from such day.

Provided that for the purpose of computing the period of his work as an agent and any benefit under these regulations, the period during which he was continually acting on behalf of the Corporation as an agent immediately before the commencement of these regulations (excluding any period prior to the 1st September, 1956) shall be taken into account and for the purpose of ascertaining his business in force or the renewal premium income in respect of such business on any date, the business completed by him in the period during which he was continually acting as an agent immediately before such commencement shall be taken into account.

(5) An applicant seeking appointment as a composite insurance agent shall provide details of the Insurer with whom his Agency exists in the Application Form for Composite Agents.

(6) Notwithstanding anything in sub-regulations (1) to (5), the competent authority may, by notice in writing to an agent, direct that his agency year shall be every successive period of twelve months from the date mentioned in the notice:

Provided that the date so mentioned in the notice shall be the first date of a calendar month.

(7) Notwithstanding anything contained in this regulation, the designated officer may refuse or reject, for reasons to be recorded in writing, an application if he feels that the grant of appointment may be against public interest.

5. Eligibility conditions for appointment of agents.—No person shall be eligible to be appointed as an agent unless he fulfils the eligibility conditions as laid down in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016 made under the IRDA Act, as amended from time to time.

6. Training and examination.—(1) An individual desiring to obtain an appointment as an agent shall pass Insurance Agency Examination in Life Insurance, conducted by an examination body approved by the Authority.

(2) The Corporation shall provide pre-recruitment and skill development training to the applicant in such manner, as may be approved by the Corporation.

7. Reappointment of Agents.—(1) The reappointment of terminated agents shall be as per the eligibility conditions approved by the Corporation from time to time:

Provided that an agent who has been terminated on account of a vigilance inquiry, disciplinary action, early claim or fraud shall not be considered for reappointment.

(2) The reappointment for all practical purposes shall be considered as a fresh appointment and the agent will not be liable for commission under any business completed under the old agency.

8. Functions of agents.—(1) Every agent shall-

- (a) solicit and procure new insurance business and endeavour to prevent the lapsing of a policy or its conversion into a paid-up policy, and while procuring life insurance business, an agent shall take into consideration the needs of proposers for life insurance and their capacity to pay premium;
- (b) take all reasonable steps to ensure that the age of the life assured is admitted at the commencement of the policy;
- (c) make all reasonable enquiries in regard to the lives to be insured before recommending proposals for acceptance, and bring to the notice of the Corporation any circumstances which may adversely affect the risk to be underwritten;
- (d) strictly adhere to the guidelines of the Corporation and the Authority regarding issuance of any circular, pamphlet or presentations;
- (e) strictly adhere to the Know Your Customer and Anti Money Laundering guidelines in accordance with the Prevention of Money Laundering Act, 1999 and the rules made thereunder;
- (f) strictly adhere to the provisions of the IRDAI Act and the rules and regulations made thereunder; and
- (g) to provide necessary support to the policyholders under the orphan policies allotted to him by the competent authority.

(2) Nothing contained in these regulations shall be deemed to confer any authority on an agent to collect any moneys or to accept any risk for or on behalf of the Corporation or to bind the Corporation in any manner whatsoever:

Provided that an agent may be authorised by the Corporation to collect and remit renewal premium under the policies or proposal deposits from proponents on such conditions as may be determined by the Corporation.

(3) Every agent shall adhere to the code of conduct as set out in the Second Schedule and as prescribed by the Authority and the Corporation, from time to time.

9. Minimum amount of business to be secured by agents.—(1) An agent shall bring in such minimum amount of business in his first and subsequent agency years as may be determined by the Corporation from time to time.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), an agent shall be exempt from bringing in the business required of him, if he fulfils such other conditions as may be laid down by the Corporation from time to time.

10. Payment of commission to agents.—(1) An agent shall be paid as compensation and remuneration for the discharge of all his functions under these regulations, commission at the rates fixed for each product of assurance as approved by the competent authority on the first year premiums and renewal premiums received during the continuance of his agency in respect of the completed business under his agency.

(2) An agent shall, in addition to the commission payable under sub-regulation (1), be entitled to bonus commission on the first year eligible commission as provided in the Third Schedule.

(3) The commission or remuneration payable to an agent in any form is subject to regulations made by the Authority under the IRDAI Act, in force.

(4) Save as provided by regulation 19, no commission shall be payable to an agent after he ceases to be an agent.

11. Gratuity and term insurance benefits.—The gratuity and term insurance benefits shall be payable to an agent as set out in the Fourth Schedule subject to regulations made by the Authority under the IRDAI Act.

12. Corporation's lien on agent's dues.—(1) Any act of omission or violation of regulation 8 and the code of conduct as set out under the Second Schedule, resulting in loss to the Corporation, shall make the agent liable for penalty, inclusive of recovery of the said losses.

(2) The Corporation shall have a first lien and charge on all moneys payable to an agent or his heirs for recovery of all debts due from him to the Corporation and may appropriate any such moneys directly towards realisation of such debts.

13. Termination of agency.—(1) If an agent fails to bring in the business required of him under regulation 9 in an agency year, his appointment shall stand terminated at the end of such agency year:

Provided that nothing contained in this sub-regulation shall apply to an agent who has been exempted under sub-regulation (2) of regulation 9.

(2) An agency which stands terminated under sub-regulation (1) may be reinstated by the competent authority, if it is satisfied that the failure of the agent to bring in the business required of him was due to reasons beyond his control.

(3) Where an agency is reinstated under sub-regulation (2), it shall be treated as continuous for all purposes.

14. Resignation or surrender of appointment by an agent.—(1) In case an agent appointed by the competent authority wishes to surrender his agency, he shall surrender his appointment letter and identity card to the competent authority.

(2) The competent authority shall issue the cessation certificate within a period of fifteen days from the date of receipt of resignation or surrender application.

(3) An agent of any other insurer who has surrendered his appointment to that insurer and seeks appointment from the Corporation shall furnish to the competent authority all the details of his previous agency and produce the cessation certificate issued by the previous insurer along with his agency application form.

(4) The competent authority shall consider the agency application as per the provisions of appointment after a period of ninety days from the date of issue of cessation certificate by the previous insurer.

15. Termination of agency on account of certain disqualifications.—(1) If an agent-

- (a) is found to be a minor;
- (b) is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction;
- (c) if he is found to be guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or an abetment to commit any such offence by a court of competent jurisdiction;
- (d) if in any judicial proceeding, has been found to have knowingly participated in or connived at any fraud, dishonesty or misrepresentation against the Corporation or any of its subsidiaries or against any person having official dealings with the Corporation or any of its subsidiaries,

his appointment shall be liable to be terminated by the competent authority.

(2) Every order of termination under sub-regulation (1) shall be issued after affording a reasonable opportunity to the agent to show cause against such termination in an enquiry to be conducted in accordance with the procedure set out in the Fifth Schedule.

(3) Where the competent authority proposes to take action under sub-regulation (1), it may direct the agent not to solicit or procure new-insurance business until he is permitted by the competent

authority to do so and the order of suspension so issued may be published as provided for in the Fifth Schedule.

16. Termination or suspension of agent for certain lapses.—(1) The competent authority may, by order, in writing, terminate the appointment of an agent, after due notice and after giving him a reasonable opportunity of being heard in accordance with the procedure laid down in the Fifth Schedule, if he—

- (a) has violated the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 (41 of 1999) or rules or regulations, made thereunder as amended from time to time;
- (b) acts in a manner prejudicial to the interests of the Corporation or to the interests of its policyholders;
- (c) has failed to discharge his functions and failed to comply with the code of conduct as set out in regulation 8 and regulation 14, and directions issued by the Authority from time to time, to the satisfaction of the competent authority;
- (d) fails to furnish any information relating to his activities as an agent as required by the Corporation or the Authority;
- (e) furnishes wrong or false information or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for appointment of Agent or during the period of its validity;
- (f) does not co-operate with any inspection or enquiry conducted by the Authority;
- (g) fails to resolve the complaints of the policyholders or fails to give a satisfactory reply to the Corporation or the Authority;
- (h) if the competent authority is satisfied that either directly or indirectly the agent is involved in embezzlement of premiums or cash collected from policyholders or prospects or on behalf of Insurer, and he has been knowingly involved in or connived at any fraud, dishonesty, misrepresentation, misappropriation, cheating and forgery against the Corporation or its policyholders or any of its subsidiaries or against any person having official dealings with the Corporation or any of its subsidiaries;
- (i) violates the terms of appointment;
- (j) does not submit periodical returns as required by the Corporation or the Authority;
- (k) if evidence comes to its knowledge to show that he has been allowing or offering to allow rebate of the whole or any part of the commission payable to him;
- (l) if it is found that any averment contained in his agency application or in any report furnished by him as an agent in respect of any proposal is not true;
- (m) becomes physically or mentally incapacitated for carrying out his functions as an agent;
- (n) if he being an absorbed agent, on being called upon to do so, fails to undergo the required training or to pass the tests, within the time fixed by the Corporation;
- (o) if it is found that he is misusing any facility provided to him by the Corporation.

(2) Where the competent authority proposes to take action under sub-regulation (1), it may direct the agent not to solicit or procure new-insurance business until he is permitted by the Competent Authority to do so and the order of suspension so issued may be published as provided for in the Fifth Schedule.

17. Termination or suspension of agency by notice.—(1) The appointment of an agent may be terminated by the competent authority at any time giving him one month's notice thereof in writing.

(2) Nothing contained in this regulation shall effect the right of the competent authority to take action against the agent in terms of regulations 16 and 19.

18. Procedure in insolvency cases.—(1) If an agent applies to a court of competent authority for being adjudged insolvent or is adjudged insolvent by such court, the competent authority may direct him to forthwith discontinue soliciting or procuring new life insurance business and the agent shall not thereupon solicit or procure new life insurance business until the court grants an absolute order of discharge and the competent authority revokes its earlier direction.

(2) Where an agent ceases to solicit or procure new life insurance business in accordance with sub-regulation (1), the requirements of regulation 9 shall not apply.

(3) If an agent fails to obtain an absolute order of discharge up to the end of two agency years following the agency year in which the order adjudging him insolvent was passed, his appointment shall be liable to be terminated by the competent authority by giving him three month's notice in writing.

19. Payment of commission on discontinuance of agency.—(1) In the event of termination of the appointment of an agent, the commission on the premiums received in respect of the business secured by him shall be paid to him, if such agent-

- (a) has fulfilled the minimum business required under regulation 9 for at least five years since his appointment and twenty five policies on different lives effected through him were in full force on a date one year before his ceasing to act as such agent; or
- (b) has fulfilled the minimum business required under regulation 9 for at least ten years since his appointment; or
- (c) being an agent whose appointment has been terminated under clause (m) of sub-regulation (1) of regulation 16 has fulfilled the minimum business required under regulation 9 for at least two years since his appointment and policies on twelve different lives effected through him were in full force on a date immediately prior to such termination:

Provided that after his ceasing to act as such agent he does not directly or indirectly solicit or procure or promote life insurance business in any capacity for any other person or company or organisation, which includes broker or intermediary or a life insurance company or a health insurance company for two years thereafter.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (a) or (b) of sub-regulation (1), an agent terminated by an order passed under regulation 15 or under clause (b) or (h) of sub-regulation (1) of regulation 16 shall entail forfeiture of his entire commission in respect of all the policies effected under his agency.

(3) Any commission payable under the sub-regulation (1) shall not be paid if the agent commits breach of the proviso thereunder.

(4) Subject to other provisions of this regulation, any commission payable to an agent under sub-regulation (1) shall, notwithstanding his death, be payable to his nominee or nominees or, if no nomination is made or is subsisting to his heirs, so long as such commission would have been payable had the agent been alive.

(5) In the event of the death of the agent while his agency subsists, any commission payable to him had he been alive, shall be paid to his nominee or, if no nomination is made or if subsisting to his heirs, so long as such commission would have been payable had the agent been alive, provided he had continually worked as an agent for not less than two years from the date of his appointment and policies on twelve different lives effected through him were in full force on a date immediately prior to his death.

(6) If the renewal commission payable under sub-regulation (1) or sub-regulation (4) or sub-regulation (5) is less than ten thousand rupees in any financial year (hereinafter referred to as the said financial year), the competent authority may, notwithstanding anything contained in the said sub-regulation, commute all commission payable in subsequent financial years for a lump sum which shall be three times the amount of renewal commission paid in the said financial year, and on the payment of such lump sum to the agent or his nominees or heirs, as the case may be, no commission on the business effected through the agent shall be payable in the financial years subsequent to the said financial year.

(7) Notwithstanding anything contained above, the payment of renewal commission or hereditary commission shall be as decided by the Corporation from time to time subject to any regulations made by the Authority in this regard.

20. Appeals.—(1) Every agent shall have a right of appeal to the Zonal Manager concerned of the Corporation against an order terminating the appointment and or forfeiture of renewal commission or suspending him from procurement of new business under regulation 15 or regulation 16 or regulation 18 or sub-regulation (2) of regulation 19.

- (2) Every person submitting an appeal shall file the appeal in his own name.
- (3) The appeal shall be addressed to the authority to whom the appeal lies and shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.
- (4) The appeal shall be submitted through the authority which made the order appealed against.
- (5) No appeal under this regulation shall be entertained unless it is submitted within a period of three months from the date on which the appellant receives a copy of the order appealed against:

Provided that the Zonal Manager may entertain the appeal after the expiry of the said period, within a further period of three months, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not submitting the appeal in time.

21. Withholding of appeals.—An appeal may be withheld by the competent authority as defined in First Schedule through whom it is sent -

- (i) if it does not comply with the provisions of sub-regulation (2) or sub-regulation (3) of regulation 20; or
- (ii) if it is not submitted within the period specified in sub-regulation (5) of regulation 20 and it does not set out any cause for delay; or
- (iii) if it is a repetition of an appeal already decided:

Provided that where an appeal is withheld, the appellant shall be informed of the fact and the reasons therefore, and except in a case covered by clause (iii) the appeal shall be returned to the appellant and if it is resubmitted within one month thereof with suitable amendments or showing cause of delay, as the case may be, it shall not be withheld.

22. Transmission of appeal.—(1) The authority which made the order appealed against shall, within a period of three months from the date of receipt of the appeal, transmit to the Zonal Manager every appeal which is not withheld under regulation 21 together with its comments thereon and the relevant records.

(2) The Zonal Manager may direct transmission to it of any appeal withheld under regulation 21 and thereupon such appeal shall be so transmitted with the comments of the authority withholding the appeal and the relevant records.

23. Consideration of appeals.—(1) Where an appeal is received under these regulations, the Zonal Manager shall consider all the circumstances of the case and pass such orders as it deems fit:

Provided that the appellant shall be given a reasonable opportunity of representing his case.

(2) All appeals shall be disposed of as expeditiously as possible, but not later than three months from the date of the receipt of the appeal by the Zonal Manager.

24. Memorial.—(1) An agent whose appeal under these regulations, not being an order of suspension under regulations 15 or 16, and not being an appeal against an order under regulation 17, has been rejected by the Zonal Manager may address a memorial to the Chairman of the Corporation in respect of that matter within a period of three months from the date of receipt by the agent of a copy of the order of the appellate authority and the Chairman shall, after making or causing to be made such inquiry as he deems necessary, pass such order thereon as the circumstances of the case justify.

(2) No further representation on the same cause of action shall be entertained.

25. Power to issue instructions or directions.—The Managing Director may, from time to time, issue such instructions or directions as may be necessary to give effect to the provisions of these regulations.

26. Power to frame schemes.- The Managing Director may, with the previous approval of the Corporation frame schemes not inconsistent with these regulations to provide for:

- (a) payment of stipends;
- (b) grant of loans to agents.

27. Power to relax.—The Executive Committee referred in sub-section (1) of section 19 of the Act may in the interests of the Corporation, for reasons to be recorded in its resolution, relax any of the provisions of these regulations in individual cases.

FIRST SCHEDULE

[See regulation 3(1)(g),(h)]

Regulation No.	Nature of functions	Competent authority
(1)	(2)	(3)
3(e) and 4	Appointment of agents	Officer in-charge of the Branch.
4(6)	Change of agency year	Officer in charge of the Division.
8(1)(g)	Allotment of orphan policies to agents	Allotment Committee of the Branch.
10(1)	Commission to agents	Chairman.
13(2)	Reinstatement of agency when failure to bring the business required of the agent was due to reasons beyond control	Designated official of the Corporation designated as such by the Executive Director.
14	Resignation or surrender of appointment by an agent	Officer in-charge of the Branch.
15(1) and 15(3)	Termination of agency on account of certain disqualification	Officer in charge of the Division.
16	Action against agent for certain lapses and issue of direction not to solicit or procure new life insurance business	Officer in charge of the Division.
17	Termination of agency by notice	Zonal Managers in charge of the Zone.
18	Direction not to solicit or procure new life insurance business or termination of agency in insolvency cases.	Officer in charge of the Division.
19(1)	Payment of commission on discontinuance of agency	Officer in charge of the Division.
19(6)	Commutation of renewal commission	Officer in charge of the Division.
Schedule I Reg.21	Withholding of appeals – Nature of functions – to issue show cause notice and final order	Officer-in-charge of the Division.

THE SECOND SCHEDULE

[See regulations 8(3),12(1)]

Code of Conduct

(1) Every insurance agent shall-

- (a) identify himself as an insurance agent of the Corporation;
- (b) show the agency identity card to the prospect, and also disclose the agency appointment letter to the prospect on demand;

- (c) disseminate the requisite information in respect of insurance products offered for sale by the Corporation and take into account the needs of the prospect while recommending a specific insurance plan;
- (d) disclose the scales of commission in respect of the insurance product offered for sale, if asked by the prospect;
- (e) indicate the premium to be charged by the Corporation for the insurance product offered for sale;
- (f) explain to the prospect the nature of information required in the proposal form by the Corporation, and also the importance of disclosure of material information in an insurance contract;
- (g) bring to the notice of the Corporation every fact about the prospect relevant to the insurance underwriting, including any adverse habits or income inconsistency of the prospect, within the knowledge of the agent, in the form of a report called “Insurance Agent’s Confidential Report” along with every proposal submitted to the Corporation, and any material fact that may adversely affect the underwriting decision of the Corporation as regards acceptance of the proposal, by making all reasonable enquiries about the prospect;
- (h) obtain the requisite documents at the time of submitting the proposal papers to the Corporation, and other documents subsequently called for by the Corporation for completion of the proposal.
- (i) advise every prospect to effect nomination under the policy;
- (j) inform promptly the prospect about the acceptance or rejection of the proposal by the Corporation;
- (k) render necessary assistance and advice to every policyholders on all policy servicing matters including assignment of policy, change of address or exercise of options under the policy or any other policy service, wherever necessary;
- (l) render necessary assistance to the policyholders or claimants or beneficiaries in complying with the requirements for settlement of claims by the Corporation.

(2) The Insurance Agent shall not-

- (a) solicit or procure insurance business without being appointed to act as such by the Corporation;
- (b) induce the prospect to omit any material information in the proposal form;
- (c) induce the prospect to submit wrong information in the proposal form or documents submitted to the Corporation for acceptance of the proposal;
- (d) resort to multilevel marketing for soliciting and procuring insurance policies and/or induct any prospect or policyholder to join a multilevel marketing scheme;
- (e) behave in a discourteous manner with the prospect;
- (f) interfere with any proposal introduced by any other insurance agent of the Corporation;
- (g) offer different rates, advantages, terms and conditions other than those offered by the Corporation;
- (h) demand or receive a share of proceeds from the beneficiary under an insurance contract;
- (i) force a policyholder to terminate the existing policy and to effect a new policy from him within three years from the date of such termination of the earlier policy;
- (j) apply for fresh agency appointment to act as an insurance agent, if his agency appointment was earlier cancelled by the designated official, and a period of five years has not elapsed from the date of such cancellation;
- (k) become or remain a director of any insurer.

- (3) Every agent shall, with a view to conserving the insurance business already procured through him, make every attempt to ensure remittance of the premiums by the policyholders within the stipulated time, by giving notice to the policyholder orally and in writing.
- (4) Any person who acts as an insurance agent in contravention of the provisions of the IRDAI Act shall be liable to penalty and disciplinary action by the Corporation.

THE THIRD SCHEDULE

[See regulation 10(2)]

Bonus commission payable to agents

1. In this Schedule, “eligible first year commission” means the first year commission earned by an agent in any agency year excluding the commission earned under single premium policies, deferred annuity policies and pure endowment policies secured by him.
2. An agent including an absorbed agent shall be entitled to bonus commission at the rate of forty percent of the eligible first year commission if he has secured not less than six proposals on different lives resulting in a completed business and a first year premium income of at least fifty thousand rupees in the respective agency year.
3. Where an agent has earned bonus commission for five successive years in accordance with the foregoing provision of this Schedule, he shall be entitled to bonus commission for the agency year immediately following such five years even if he has not fulfilled in respect of that year the conditions set out in the said provision.
4. Notwithstanding anything contained in the paragraphs 2 and 3, an agent who has been exempted under sub-regulation (2) of regulation 9, shall be entitled to bonus commission, if he has to his credit at the time of such exemption fifteen qualifying years as defined in the Fourth Schedule

THE FOURTH SCHEDULE

[See regulation 11]

Gratuity and Term Insurance

1. In this Schedule unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Agency year” in the case of an absorbed agent, includes every period of twelve months prior to the first agency year, but in the case of only agent does not include an agency year during which the agent has worked for less than twelve complete months;
 - (b) “eligible rate” means:
 - (i) in the case of an agent who has worked on the relevant date for fifteen agency years or more as an agent, 180th part of the aggregate of the qualifying yearly renewal commission earned by him in the qualifying years out of the fifteen agency years immediately preceding the relevant date ; and
 - (ii) in the case of an agent who has worked on the relevant date for less than fifteen agency years as an agent, one twelfth of the amount arrived at by dividing the aggregate of the qualifying yearly renewal commission earned by him in the qualifying years by the total number of agency years he has worked as an agent on the relevant date .
 - (c) “qualifying year” means :
 - (i) the agency year in which an agent , acting on behalf of the corporation between the 1st September,1956, and the published day, had completed a business of not less than the previous guarantee; or
 - (ii) the agency year in which an agent, functioning or continuing to function after the published day, had completed the business required of him under the regulation 9, but in

respect of an absorbed agent the first agency year shall not be a qualifying year unless he had completed a business of not less than the modified previous guarantee;

(d) “qualifying yearly renewal commission” means.-

- (i) in respect of agency years ending on or after the 1st april,1968, the renewal commission earned by an agent in a qualifying year included in such agency years; and
- (ii) in respect of agency years ending on or before the 31st March, 1968 one third of the aggregate of the renewal commission earned in the three agency years immediately preceding the 1st April, 1971;

(e) “relevant date” means the date on which the eligibility for payment of gratuity is determined under paragraph 2.

2. (1) An agent shall be eligible for gratuity :

- (i) if he has worked continually and for fifteen or more qualifying years, and
 - (a) he is not below sixty years of age; or
 - (b) his agency ceases or stands terminated under any of the provisions of these regulations for any reason other than an expected reason; or
- (ii) if he has been confirmed in his appointment, an-
 - (a) he dies while his agency is subsisting; or
 - (b) his appointment as agent is terminated under clause (m) of sub-regulation (1) of regulation 16.

Explanation : In this sub-paragraph, “expected reason” means any of the reasons mentioned in.-

- (i) clause (c) or clause (d) of regulation 15;
 - (ii) clause (b) or clause (c) or clause (h) or clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 16; or
 - (iii) clause (l) of sub-regulation (1) of regulation 16, if it is established that the agent had acted with a view to defrauding the Corporation.
- (2) An agent may, before he has attained the age fifty-nine years, by notice in writing to the designated official, request that his eligibility for gratuity may be determined on completion of sixty-five years of age, and in that case sub-clause (a) of clause (2) of sub-paragraph(1) shall have effect as if for the word “sixty” the word “sixty-five” had been substituted, and the relevant date shall be computed accordingly.
- (3) Gratuity admissible to an agent shall be at the eligible rate for each qualifying year for the first fifteen qualifying years and at half the eligible rate for the subsequent ten qualifying years, provided the maximum amount of gratuity payable shall not exceed three lakh rupees.
- (4) Subject to any lien the Corporation may have on the amount of gratuity admissible to an agent, it shall pay the agent or his nominee or, if no nomination is made or is subsisting, his heirs, the amount of gratuity admissible under the paragraph.
- (5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-paragraph, no gratuity shall be admissible to an agent who is also an employee of the Corporation for the period he remains such employee and his agency work in such period shall not count for any purpose under this clause even after the cessation of his service as an employee.
- (6) Where an agent has received any gratuity under this paragraph, no further gratuity shall be admissible to him for any period during which he works thereafter as an agent.

3. (1) In the event of the death of an agent while his agency subsists, the Corporation shall make payment of an amount in accordance with the provisions hereinafter contained if the following conditions are satisfied in respect of such agent.-

(a) he had not completed fifty years of age on the date of his appointment as an agent.

Explanation.—For determining the date of appointment of an absorbed agent, the actual date of his appointment before the published day as an insurance agent shall be taken into account;

(b) his death takes place before he has completed sixty years of age;

(c) he had an insurance policy (other than a temporary insurance policy) on his own life assuring a sum of not less than five thousand rupees which was in force at the time of his death:

Provided that in the case of an absorbed agent, this condition shall be deemed to have been satisfied if he has held a policy which matured for payment at any time after he has completed fifty-five years of age; and

(d) he, not an being absorbed agent, has been confirmed as an agent and has to his credit three or more qualifying years at the date of his death, or he, being an absorbed agent, has to his credit three qualifying years and has either-

(i) completed five agency years at the date of his death; or

(ii) undergone such training and passed such tests, as prescribed under regulation 6.

- (2) The amount payable under sub-paragraph (1) (hereinafter referred to as the amount of term insurance) shall be base on the average annual renewal commission earned by the agent in the three agency years immediately preceding his death (hereinafter referred to as the average commission) and shall be according to the following scale, namely:-

Average Commission		Amount of term insurance
(1)	(2)	(3)
(a)	If the average commission was less than Rs. 1,001	Rs.3000.
(b)	If the average commission was Rs.1001 or more , but less than Rs.15,000	Rs.3000 plus one half of the excess of average commission over Rs. 1000.
(c)	If the average commission was Rs. 15000 or more	Rs.10000.

- (3) Subject to any lien the Corporation may have on the amount of term insurance admissible in the case of an agent, it shall pay his nominee or nominees, or if no nomination is made or is subsisting, his heirs the amount of term insurance admissible under this paragraph.

- (4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-paragraph, the amount of term insurance shall not be admissible in respect of an agent who was also an employee of the Corporation if his death had taken place during the period he remained such employee and his work as agent during such period shall not count for any purpose even after the cessation of his service as an employee.

THE FIFTH SCHEDULE

[See regulations 15(2) and (3),16(1) and(2)]

Disciplinary Action

1. Manner of holding enquiry before or after suspension of appointment of agent.-

- (1) The appointment of an agent shall not be cancelled unless an enquiry has been conducted in accordance with the procedure laid down in this Schedule.

- (2) For the purpose of holding an enquiry or investigation, the competent authority may appoint an officer as an Enquiry Officer for the irregularities enumerated under regulation 16 within fifteen days of issuance of suspension order, wherever issued, to conduct the enquiry or investigation.
- (3) The Enquiry Officer may direct the agent concerned to furnish all information/data as deemed necessary to conduct the enquiry and grant the agent a time of twenty-one days from the receipt of letter or date of receipt of the suspension order, for submission of his reply and such information or data called for.
- (4) The agent may, within twenty-one days from the date of receipt of such notice, furnish to the Enquiry Officer a reply together with copies of documentary or other evidence relied on by him or sought by the Enquiry Officer.
- (5) The Enquiry Officer shall give a reasonable opportunity of hearing to the agent to enable him to make submissions in support of his reply.
- (6) The agent may either appear in person or through any person duly authorized by him to present his case, provided however that the prior approval of the competent authority is obtained for the appearance of the authorised person.
- (7) The Enquiry Officer may advise the competent authority to present its case through one of its officials.
- (8) If it is considered necessary, the Enquiry Officer may call for feedback or information from any other related entity during the course of enquiry.
- (9) If it is considered necessary, the Enquiry Officer may call for additional papers from the agent.
- (10) The Enquiry Officer shall make all necessary efforts to complete the enquiry or investigation within forty- five days of the commencement of the enquiry.
- (11) In case the enquiry cannot be completed within the period of forty-five days, the Enquiry Officer may seek additional time from the competent authority stating the reason thereof.
- (12) The Enquiry Officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the agent, furnish a report making his/her recommendations to the competent authority.
- (13) The competent authority shall issue a show cause notice directing the agent to submit his say within fifteen days from the date of receipt of the show cause notice proposing termination, and shall pass a final order in writing with such decision as he deems fit and communicate to the concerned agent.
- (14) On issuance of the final order for termination of agency of the agent, he shall cease to act as an agent from the date of the final order.

2. Publication of order of suspension or termination.—(1) The order of suspension or termination of appointment of the insurance agent under regulation 15 or regulation 16 shall be displayed on website of the Corporation and updated in centralised list of agents maintained by the authority, so that registration of new business by the suspended or terminated agent is stopped forthwith by the Corporation.

(2). On and from the date of suspension or termination of agency appointment, the agent, shall cease to function as an agent of the Corporation.

3. Effect of suspension or termination of agency appointment.—(1) On and from the date of suspension or termination of the agency, the agent shall cease to act as an agent.

(2).The competent authority shall recover the appointment letter and identity card from the agent whose appointment has been terminated within seven days of issuance of final order effecting termination of appointment.

- (3). The competent authority shall black-list the agent and enter the details of the agent whose appointment is suspended or cancelled into the blacklisted agent's database maintained by the authority and the centralised list of agents' database maintained by the competent authority in online mode, immediately after issuance of the order effecting suspension or termination.
- (4) In case a suspension is revoked in respect of any agent on conclusion of disciplinary action by way of issuance of a speaking order by the competent authority, the details of such agent shall be removed from list of blacklisted agents as soon as the speaking order revoking his suspension is issued.
- (5).The competent authority, may inform other insurers, with whom he is acting as an agent, of the action taken against the agent for their records and necessary action.

[F. No. I-13011/02/2015/Ins.I]

USHA SANGWAN, Managing Director